कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-36/2017-18/

दिनांक : /10/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी
नगर पा लका परिषद
हरबर्टपुर

वषय : नगर पा लका परिषद का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 05 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग-2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 36/2017-18/ दिनांक : /10/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री के.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री विशाल कुमार गुप्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **24.08.2015** से **31.08.2015** तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2011** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **3.282 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **9,782**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **19**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **--**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **20**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: 12 दुकानें, 05 कमरे, 01 सामुदायिक भवन एवं 01 कार्यालय भवन

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(स(

कार्यालय नगर अ धशासी अ धकारी, नगर पा लका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून को वगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का ववरण

समस्त धनरा श (रु.) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष		
							स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत(-) आ धक्य(+)	बचत(-)
2014-15	11015558	660060	22161416	19428407	5648000	3193044	0	13748567 0	3115016
2015-16	13748567	3115016	24337126	29497826	3142000	6146184	0	8587867 0	110832
2016-17	858767	110832	22528168	27054201	9092969	4390830	0	4061834 0	4812971
कुल योग			69026710	75980434	17882969	13730058			

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून का वर्ष 2014-15 का आय –व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	145000	3270000	3415000	2325000	1090000
2	राज्य वित्तआयोग	10440825	18825000	29265825	16270354	12995471
3	अवस्थापना विकास निधि	0	2000000	2000000	0	2000000
4	विधायक निधि	515060	364000	879060	854044	25016
5	सांसद निधि	0	14000	14000	14000	0
6	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
7	निकाय निधि	574733	3282270	3857003	3103907	753096
8	ब्याज से प्राप्ति	0	54146	54146	54146	0
	कुल योग	**11675618**	**27809416**	**39485034**	**22621451**	**16863583**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून का वर्ष 2014-15 का आय –व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1090000	3142000	4232000	4232000	0
2	राज्य वित्तआयोग	12995471	18825000	31820471	25170596	6649875
3	अवस्थापना विकास निधि	2000000	0	2000000	1914184	85816
4	विधायक निधि	25016	0	25016	0	25016
5	सांसद निधि	0	0	0	0	0
6	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
7	निकाय निधि	753096	5416967	6170063	4232071	1937992
8	ब्याज से प्राप्ति	0	95159	95159	95159	0
	कुल योग	**16863583**	**27479126**	**44342709**	**35644010**	**8698699**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5768000	5768000	1283599	4484401
2	राज्य वित्तआयोग	6649875	18825000	25474875	22624910	2849965
3	अवस्थापना विकास निधि	85816	3000000	3085816	2822258	263558
4	विधायक निधि	25016	0	25016	0	25016
5	सांसद निधि	0	0	0	0	0
6	स्वच्छ भारत मिशन	0	324969	324969	284973	39996
7	निकाय निधि	1937992	03633593	551585	4359716	1211869
8	ब्याज से प्राप्ति	0	69575	69575	69575	0
	कुल योग	8698699	31621137	40319836	31445031	8874805

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई हैं अर्थात योजनाओं का कृयान्वयन सही ढंग से नही हो रहा हैं।

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप में नही किया जा रहा हैं।

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	145000	3270000	3415000	2325000	1090000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	1090000	3142000	4232000	4232000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5768000	5768000	1283599	4484401
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	324969	324969	284973	39996

भाग 2 (ब)

प्रस्तर **1:-** ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न कया जाना एवं ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र प्रे षत न कया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अ धसू चत की गयी थी (सतम्बर 2000) इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्रा धकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अप शष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण परिवहन, प्र क्रया एवं निस्तारण कया जाना था। नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली बनायी गयी जो म्युनि सपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्न ल खत मानदड़ों का अनुपालन कया जाना था।

मानदण्ड़	अनुपालन
ठोस अप शष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अप शष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अप शष्ट का पृथकीकरण	अप शष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरुकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अप शष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनप्र क्रया को बढावा देना।
ठोस अप शष्ट का भण्ड़ारण	जनसंख्या घनत्व एवं अप शष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सु वधा का वकास एवं भन्न-भन्न प्रकार के अप शष्ट हेतु अलग-अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अप शष्ट का परिवहन	अप शष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अप शष्ट का प्र क्रया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अप शष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजै वक, अ क्रयशील अप शष्टों से भरा जाना चाहिए जो जै वक प्र क्रया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पा लका परिषद, हरबर्टपुर, देहरादून (न.पा.प.) के ठोस अप शष्ट से सम्बन्धित लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क न.पा.प. परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 04 मीट्रिक टन अप शष्ट को 05 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत कये संग्रहित कया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न.पा.प. द्वारा ठोस अप शष्ट की प्र क्रया एवं भू-भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ से प्रा धकार पत्र प्राप्त नहीं कया गया था। न.पा.प. द्वारा नियमानुसार वा र्षक रिपोर्ट शहरी वकास निदेशालय एवं प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड़ को प्रत्येक वर्ष प्रे षत नहीं की जा रही थी। न.पा.प. परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अप शष्ट को बिना कसी प्र क्रया के

अना धकृत भू-भाग पर डाला जा रहा था। ट्रें चगं ग्राउण्ड़ परिक्षेत्र का वायु भूगर्भीय जल एवं लीचेट की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ एवं नगर पा लका परिषद द्वारा नहीं कया जा रहा था। जिसके अभाव में पा लका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदुषण का आंकलन कया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त अलावा न.पा.प. के प्रा धकार में कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण हेतु कोई भू म उपलब्ध नहीं थी। न.पा.प. द्वारा वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय वत्त आयोग एवं स्पच्छ भारत मशन के अन्तर्गत व्यय की गयी रा श ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रे षत नहीं कया गया था।

उपरोक्त के अलावा न.पा.प. के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार क मयां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
बिन	11	06	05
वाहन	13	05	08
उपकरण (टीन पंजा, हाथ रिक्सा, ब्हील बैरोज, फावड़ा तलवार एवं सब्बल)	541	146	395

इस प्रकार न.पा.प. द्वारा पा लका परिषद क्षेत्र में ठोस अप शष्ट का प्रबन्धन ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं कया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया क सांइटि फक लैण्ड फल के निर्माण के उपरान्त पृथकीकरण की कार्यवाही की जायेगी, भू म उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण की स्थापना सम्भव नहीं है वन वभाग से भू म हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। वा र्षक रिपोर्ट वर्तमान में नहीं भेजी जा रही है, भ वष्य में इसका अनुपालन कया जायेगा। प्रदुषण निंयत्रण बोर्ड़ से प्रा धकार प्राप्त करने हेतु वत्तीय वर्ष के आरम्भ में आवेदन कया जाता है ले कन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क न.पा.प. द्वारा ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं कया जा रहा था तथा 2016-17 में व्यय की गयी रा श ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रे षत नहीं कया गया था।

अतः ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न कये जाने एवं ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र प्रे षत न कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2:- नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन न कया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत के समतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्था द्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पा लका परिषद, हरबर्टपुर, देहरादून के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पा लका परिषद, हरबर्टपुर में निम्न ल खत 10 कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त कया गया था:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमति)	पदनाम	नियुक्ति की ति थ
1.	मनोज बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	01/10/2016
2.	सुंदर लाल	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
3.	श्रीचंद	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
4.	सुशील	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
5.	सुषमा	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
6.	मोनू राम	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
7.	जितेंद्र कुमार	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
8.	सोनू राम	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
9.	सुनीता	पर्यावरण मत्र	09/12/2016
10.	गुरुदेव संह	पर्यावरण मत्र	09/12/2016

उक्त कर्मचारियों के वेतन बिलों की जांच में पाया गया क कर्मचारियों के वेतन से नियुक्ति ति थ से आति थ (जुलाई 2017) तक न तो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की कटौती (वेतन, महंगाई वेतन/ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत)की जा रही थी और न ही इसी के समतुल्य सेवायोजक द्वारा प्रदत्त कया जा रहा था। इकाई द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन नहीं कया जा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया क शासनादेशों के अभाव में नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन नहीं कया जा सका था। आगामी माह से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रयान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आ र्थक क्षति हुई है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3:- नगर पा लका द्वारा वज्ञापन शुल्क की वसूली में `**43,679/-** के राजस्व की हानि।

कार्यालय नगर पा लका परिषद, हरबर्टपुर, जनपद देहरादून द्वारा वर्ष 2015-16 में निकाय के निजी आय हित में इकाई के राष्ट्रीय राजमार्गों एवं चारों सड़कों पर स्वागत द्वार व सड़क के कनारे दोनों ओर निकाय क्षेत्र के सुगम स्थानों पर वज्ञापन वसूली एवं नियन्त्रण ठेका कए जाने हेतु नि वदायें आमंत्रित की गयी थी। इसी अनुक्रम में इकाई द्वारा नगर पा लका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून के राष्ट्रीय राजमार्ग की चारों सड़कों पर स्वागत द्वार वज्ञापन हेतु 29/09/2015 को मै॰ महिंद्रा ऍडवरटाइजर्स, वकासनगर के साथ `1,40,900/- वा षक दर से वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं आगामी 10 वर्षों के लए अनुबंध कया गया था।

उपरोक्त अनुबंध के वंदु संख्या 16 एवं नि वदा के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार आगामी वर्ष में ठेकेदार को कार्यालय द्वारा निर्धारित धनरा श जमाकर पंजीकरण कए जाने एवं उक्त ठेके में 10 प्रतिशत की वा षक वृद् ध कए जाने का प्रावधान था एवं तदनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित कया गया था।

पत्राव लयों की जांच में पाया गया क मै॰ महिंद्रा ऍडवरटाइजर्स, वकासनगर द्वारा वर्ष 2015-16 के लए 07/10/15 को स्वागत द्वार ठेके की वा षक धनरा श `1,40,900/- का भुगतान कया गया। फर्म द्वारा वर्ष 2016-17 व 2017-18 के लए भी वा षक धनरा श ` 1,40,900/- की दर से ही भुगतान कया गया था जब क अनुबंध के अनुसार आगामी वर्ष में उक्त ठेके में 10 प्रतिशत की बृद् ध की जानी थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 में `1,54,990/- एवं वर्ष 2017-18 में ` 1,70,489/- की वसूली की जानी थी। इस प्रकार फर्म द्वारा इकाई को ` 43,679/-की कम धनरा श का भुगतान कए जाने से राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये आश्वासन दिया गया क अनुबंध की शर्त के अनुसार अवशेष धनरा श की एवं आगामी वर्षों की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न होने के कारण इकाई को ` 43,679/-के राजस्व की हानि हुई है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 4:- इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `98,198/- के लेबर सेस की कटौती करके कल्याण बोर्ड की निधि में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून के चयनित माहों (अगस्त 2015 एवं मार्च 2017) के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान संलग्नक "**क**" के अनुसार **25** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`98,19,555/-** की धनराशि का भुगतान किया गया परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`98,198/-** की धनराशि की कटौती करके कल्याण बोर्ड की निधि में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में लेबर सेस की कटौती नहीं की गई थी | भविष्य में निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती कर संबन्धित लेखा शीर्ष में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के आगणनों में 1% लेबर सेस का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके कल्याण बोर्ड की निधि में जमा कराया जाना चाहिए था |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, देहरादून द्वारा चयनित माहों (अगस्त 2015 एवं मार्च 2017) के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण

क्रं.सं.	कार्य का नाम	बिल के भुगतान की धनराशि	भुगतान की तिथि	लेबर सेस की कटौती		
				जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	वार्ड नं. 03 में सहारनपुर रोड पर पोस्ट ऑफिस के बगल श्री राजकुमार सैनी की दुकान तक सी.सी.टाइल्स सड़क निर्माण व नाली निर्माण	343300	10.08.15	3433	0	3433
2	वार्ड नं. 05 में पीर की मजार के सामने सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी से अशोक शुक्ला के मकान तक आर.आर. दीवार निर्माण एवं भरान कार्य से सड़क निर्माण कार्य	469681	10.08.15	4697	0	4697
3	वार्ड नं. 04 में फ़तेहपुर रोड से धीरेन्द्र चौधरी के मकान तक दीवार निर्माण कर भरान व टाइल्स सड़क का निर्माण	288612	10.08.15	2886	0	2886
4	वार्ड नं. 04 में देहरादून रोड पर श्री विनय गौड़, श्री ज़ाहिद के घर से आर.सी.सी. रमन, श्री विकास जैन एवं श्रीमती मिथलेश के घर तक टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य	1072883	14.08.15	10729	0	10729
5	वार्ड नं. 06 मौ. विवेक विहार में श्री सुबोध गुप्ता के मकान से श्री राधा बल्लभ जोशी के घर के पास तक क्षतिग्रस्त के.सी.नाली का सी.सी.पुनर्निर्माण कार्य	142000	14.08.15	1420	0	1420
6	वार्ड नं. 06 विवेक विहार में मीना जैन रोड से श्रीमती मुन्नी देवी के मकान तक दीवार तथा आर.बी.एम. भरान कार्य करवाकर टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य	254165	14.08.15	2542	0	2542
7	वार्ड नं. 03 में श्रीमती नीमा बंसल की संपत्ति से सिक्ख संगीत विद्यालय तक दीवार निर्माण कर भराव व टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य	186003	14.08.15	1860	0	1860
8	वार्ड नं. 01 बंशीपुर में मेन रोड से श्रीमती दीपा पाण्डेय के मकान को जाने वाले मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया व मार्ग निर्माण	154846	20.08.15	1548	0	1548
9	वार्ड नं. 01 में विकासनगर रोड पर श्री रामलाल के घर के आगे पुलिया/स्लेब का कार्य	95406	20.08.15	954	0	954
10	वार्ड नं. 05 में गगन धर्म काँटा के पीछे श्री एच.एस.नेगी के मकान से श्री राजकुमार शर्मा के मकान तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	282482	20.08.15	2825	0	2825
11	वार्ड नं. 06 में नाली मरम्मत/निर्माण श्री सुखपाल के मकान से श्री गुप्ता जी के मकान, उर्मिला गौतम के घर के पास एवं श्री नन्दा बल्लभ जी के घर से गौतम जी के घर तक कार्य	58352	28.08.15	584	0	584

12	वार्ड नं. 07 में नगर पंचायत कार्यालय से टी स्टेट लाल फाटक तक सी.सी.टाइल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का प्रथम चरण का निर्माण	1482704	28.08.15	14827	0	14827
13	वार्ड नं. 01 बंशीपुर में श्रीमती अनुभा शर्मा के मकान से श्री पवन अग्रवाल की संपत्ति तक दीवार निर्माण एवं भरान कार्य	255898	28.08.15	2559	0	2559
14	वार्ड नं. 02 में श्री उदय के घर से पहले श्री मोहन सिंह बिष्ट के मकान तक सी.सी.टाइल्स निर्माण कार्य	710818	16.03.17	7108	0	7108
15	वार्ड नं. 01 मौ. बंशीपुर में साईं मंदिर वाली गली में श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट के घर से ए.डी.ओ. श्री राजकुमार के घर तक सी.सी.टाइल्स सड़क का पुनर्निर्माण	502276	16.03.17	5023	0	5023
16	वार्ड नं. 04 मौ.आसनबाग में श्री इरशाद अहमद के मकान से श्री यामीन के घर को होते हुए वाजिद के मकान तक सी.सी.टाइल्स सड़क का पुनर्निर्माण	575712	16.03.17	5757	0	5757
17	वार्ड नं. 06 विवेक विहार में श्री एम.एस.रावत के मकान से श्री त्रिलोक सिंह रौतेला के मकान तक सी.सी.टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य	283758	16.03.17	2838	0	2838
18	वार्ड नं. 04 देहरादून रोड पर पालिका मैदान में जगह जगह क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण	364264	16.03.17	3643	0	3643
19	वार्ड नं. 02 आदर्श विहार में राजपाल नर्सरी के पीछे श्री नरेंद्र प्रसाद ढोंढियाल के घर के पास सी.सी. नाली निर्माण कार्य	17506	16.03.17	175	0	175
20	वार्ड नं. 06 विवेक विहार में डी.आर.स्कूल के पास श्री गंगा सिंह कंडारी के मकान से के.शिवराम के मकान तक सी.सी.नाली निर्माण कार्य	46906	16.03.17	469	0	469
21	वार्ड नं. 04 मौ. आसनबाग में श्री सफदर बेग के घर से श्री तौकीर के घर तक नीम से जाल की दीवार से नाली का पुनर्निर्माण कार्य	39251	16.03.17	393	0	393
22	वार्ड नं. 03 मौ. फ़तेहपुर पश्चिम ईदगाह वाली गली में श्री करीमूदीन के मकान सहारनपुर रोड (मेन) नाली का पुनर्निर्माण कार्य	81918	17.03.17	819	0	819
23	वार्ड नं. 06 मौ. विवेक विहार में श्री आर.के.बजाज के मकान से श्री ए.के.जॉन के मकान तक सी.सी.टाइल्स सड़क निर्माण व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	819960	17.03.17	8200	0	8200
24	वार्ड नं. 05 मौ. रामबाग में दीपक के मकान से श्री सिकन्दर कौशल के घर तक सी.सी.टाइल्स सड़क निर्माण का कार्य	900981	17.03.17	9010	0	9010
25	वार्ड नं. 03 सहारनपुर रोड पर श्री कपिल त्यागी के मकान से श्री सुभाष वर्मा के मकान तक सी.सी.टाइल्स सड़क निर्माण व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	389873	17.03.17	3899	0	3899
	कुल योग	**9819555**		**98198**	**0**	**98198**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 5:- अनुबंध हस्ताक्षरित कए बिना भवन को कराए पर दिया जाना व कराए की वसूली लंबित रहना।

प्रमुख स चव उत्तराखंड शासन के पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा शासनादेश संख्या 2677 ए / 9-7-95-56 एल /95 टी सी दिनांक 26-7-1995 के संदर्भ में पुनः निर्दे शत कया गया था क नगर निकायो की स्थायी संप त्त के कराए पर/ पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना न की जाय तथा बिक्रय / पट्टे पर दिये जाए के संबंध में निर्दे शत कया गया था क शासन के पूर्व अनुमति के बिना कार्यवाही न की जाए।

उत्तर प्रदेश म्यूनि सपल अ धनियम , 1916 की धारा 173 - क में प्रावधानित है क (i)भवन अथवा भू म के बकाए कर / कराए की वसूली हेतु जिला धकारी / कलेक्टर के माध्यम से नोटिस जारी कया जाएगा (ii) जिला धकारी देयता को सुनिश्चित कर वसूली की कार्यवाही करेगा।

इकाई की लेखापरीक्षा (अगस्त 2017) में अ भलेखो की जांच में देखा गया क 536 वर्ग फीट क्षेत्रफल का भवन कराए पर दिया गया था जिसमे प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), हरबर्टपुर प्रस्था पत था। भवन का कराया `110/- प्रति वर्ग फीट था जिसे बाद मे बोर्ड के निर्णय (जनवरी 2009) द्वारा 12.5 प्रतिशत की वृद् ध की गयी थी तथा कराया `124/-प्रति वर्ग फीट कर दिया गया था पुनः जनवरी 2016 में बोर्ड प्रस्ताव पास कया गया था क जिला धकारी, देहरादून द्वारा कराए हेतु निर्धारित सर्कल रेट पर कराए वृद् ध की जाएगी। आगे अ भलेखो मे देखा गया क नगर पा लका अ धनियम 1916 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी च कत्सा धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, हरबर्टपुर को नोटिस जारी कया गया था जिसके अनुसार भवन का कराया `21577/- बकाया था एवं जारी नोटिस में कराए क दर `124/- प्रति वर्ग फीट ही रखा गया था इसे जनवरी 2016 के बोर्ड प्रस्ताव के अनुक्रम में पुनरी क्षत नहीं कया गया था। भवन को कब से कराए पर दिया गया था इसका उल्लेख पत्रावली मे नहीं था तथा इस संबंध मे कोई अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं था। इस प्रकार बिना अनुबंध हस्ताक्षरित कए भवन कराए पर दिया गया तथा शासन से प्रावधानों के अनुक्रम मे ली गयी अनुमति अ भलेखो मे उपलब्ध नहीं थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया क उक्त के संबंध में कोई अनुबंध गठित नहीं कया गया है और न ही शासन से अनुमति ली गयी है। कराए का पुनरीक्षण बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार करवा लया जाएगा।प्रभारी च कत्सा धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र को नोटिस जारी कए जाने के उपरांत भी कराए की वसूली नहीं की जा सकी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क इकाई द्वारा बिना अनुबंध हस्ताक्षरित कए भवन कराए पर दिया गया तथा बोर्ड प्रस्ताव के अनुक्रम में कराए की दर पुनरी क्षत नहीं की गयी थी।इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को नोटिस जारी कए जाने के उपरांत भी कराए की वसूली नहीं की जा सकी है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ., श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **05 अगस्त 2017** से **10 अगस्त 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
स्था0नि0 / प्रति0सं0–07 / 2015–16	4ब–I का प्रस्तर सं0–01	4ब–II के प्रस्तर सं0–01 से 02

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था0नि0 / प्रति0सं0–07 / 2015–16	शून्य	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई | इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी |	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका |	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री एलम दास	अधिशासी अधिकारी	16.05.2017 से अब तक
02.	श्री एसजोशी.पी.	अधिशासी अधिकारी	18.06.16 से तक 15.05.17
03.	श्री बीआर्य.एल.	अधिशासी अधिकारी	31.07.15 से तक 17.06.16

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, जनपद-देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय